संचिका सं0–12 / प0.–17–27 / 2014 – 78(12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,

बिहार।

पटना, दिनांक– 12-2-2015

विषय– स्नातक योग्यताधारी परिवार कल्याण कार्यकर्त्ताओं को प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्रतिवेदन अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराने संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–209(12) दिनांक–22.4.2014 एवं पत्रांक–241(12) दिनांक–23.05.2014 विभागीय प्रेस विज्ञप्ति पत्रांक–349 (12) दिनांक–02.07.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आप सभी से विहित प्रपत्र में सूचना / प्रतिवेदन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु संसूचित किया गया था परन्तु कुछ को छोड़कर अधिकांश स्थानों से सूचना / प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है कुछ का सूचना / प्रतिवेदन मात्र विहित प्रपत्र में भरकर भेजा गया परन्तु प्रतिवेदन संबंधी अभिप्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके कारण आगे की कार्रवाई बाधित / लंबित है।

अतः आप सभी को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्नातक योग्यताधारी परिवार कल्याण कार्यकर्त्ताओं से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित विहित प्रपत्र में सूचना / प्रतिवेदन संबंधित पूर्णरूपेण अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ 15 दिनो के अन्दर विशेष दूत के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय साथ ही इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाय कि उनके जिलों में किसी स्नातक उत्तीर्ण प0क0 कार्य0 / गांव साथी का नाम नहीं छूटा है।

साथ ही विभागीय कार्यालय पत्रांक–887 (12) दिनांक–26.12.2014 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आप सभी अपने अधीनस्थ कार्यरत प0क0 कार्य / प्रखंड प्रसार प्रशिक्षण / संगणक / जिला उप मास मिडिया पदाधिकारी एवं जिला मास मिडिया पदाधिकरी का स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति पदों की अद्यतन स्थिति अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु संसूचित किया गया था परन्तु वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है जिसके कारण वस्तु स्थिति से प्रधान सचिव महोदय को अब तक अवगत नहीं कराया जा सका है। अतः उक्त पदों की अद्यतन स्थिति अविलम्ब फैक्स / विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चत किया जाय ताकि प्रोन्नति की अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित सूचनाएं / प्रतिवेदन पूर्णरूपेण साक्ष्य सहित 15 दिनों के अभ्यन्तर प्राप्त नहीं होता है तो विभाग द्वारा प्राप्त साक्ष्य सहित प्रतिवेदनों के आलोक में प्रोन्नति की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी और समझा जायेगा कि आपके अधीन विभागीय प्रोन्नति की बैठक में रखने योग्य कोई मामला लम्बित नहीं है।

विहित प्रपत्र

क्रम सं0	नाम पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	योगदान / से0 नि0की तिथि	स्नातक उत्तीर्णता का वर्ष	नियुक्ति का ज्ञापांक / दिनांक	संपुष्टि की तिथि	नियुक्ति पश्चात स्नातक हो तो अनुमति लिए थे अथवा नहीं	चरित्रिक अभियुक्ति	आरोप	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की सूचना	आरक्षण कोटि	नियुक्ति की वैद्यता	गृह जिला	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विश्वासभाजन

11/2/15

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।